

स. 13018/2/2008-स्था. (एल.)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17/11/2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी की मात्रा में वृद्धि तथा उचित शिशु देख-भाल छुट्टी प्रारम्भ करने के संबंध में इसके केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें।

प्रसूति छुट्टी और शिशु की देख-भाल छुट्टी के संबंध में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के मौजूदा प्रावधानों को केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के सम्बंध में निम्नवत् यथा संशोधित समझा जाए --

- (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43(1) में 27-वर्षीय 135 दिनों की प्रसूति छुट्टियों की व्यवस्था की गई है को बढ़ाकर 180 दिनों का दिया जाए।
 - (ख) नियम 43(4)(ख) में उपरोक्त कराई गई प्रसूति छुट्टी के उपरुक्त में व्यवस्था की जा सकने योग्य देय और अनुमत्य (अधिक से अधिक 60 दिनों की प्रसूति छुट्टी तथा अडेन छुट्टी सहित) प्रकार की छुट्टी की अवधि का 180 दिनों का दिया जाए।
 - (ग) उन महिला कर्मचारियों को, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके सम्बन्ध में सरकार के लोको केवल दो बच्चों तक की देख-भाल करने के लिए अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 30 दिनों की अवधि की छुट्टी चाहे वह पालन-पोषण अथवा उनकी किसी भी प्रकार की जरूरतों, जैसे कि परीक्षा, बीमारी, इत्यादि की देख-भाल के लिए हा. सतम प्राधिकारी द्वारा शिशु देख-भाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि शिशु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो शिशु देख-भाल छुट्टी अनुमत्य नहीं होगी।
- किसी छुट्टी की अवधि के दौरान, महिला कर्मचारियों को छुट्टी के लालन के समकाल पूर्व आहरित वेतन के समान ही छुट्टी वेतन दिया जाएगा। इसका साथ ही वह वर्ष से अधिक भी उठाया जा सकता है। शिशु देख-भाल छुट्टी को छुट्टी तथा से ऊपर नहीं किया जाएगा। शिशु देख-भाल छुट्टी, छुट्टी देय नहीं है। (यदि किसी सम्बन्ध प्रस्तुत किए बिना) के रूप में तीसरे वर्ष भी दी जा सकती है। इन देय और अनुमत्य प्रकार की छुट्टियों के साथ भी जोड़ा जाए।

2. यह आदेश 1 सितंबर, 2008 से लागू होंगे।

3. उपर्युक्त पैरा 2 को ध्यान में रखते हुए कोई भी महिला कर्मचारी जिसकी 100 दिनों की प्रसूति छुट्टी की अवधि उपर्युक्त तारीख को समाप्त नहीं हुई हो, वह भी 100 दिनों की प्रसूति छुट्टी को लेने की हकदार होगी।

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के औपचारिक संशोधनों का अलग से जारी किया जा रहा है।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है इन आदेशों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया गया है।

सिन्धी गारेल

(सिन्धी आर. लक्ष्मी)
निदेशक (पी.एंड.ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय
(मानक डाक सूची के अनुसार)

कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Dept. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
- 8 OCT 2008
जारी किया/ISSUED
रसाव/RSig